चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 67 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(क).उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार थाना मानिकपुर तथा उ0नि0 यूटी0 पवन चौधरी, आरक्षी दीपेश यादव द्वारा अभियुक्त भूपत सिंह पुत्र अवधबिहारी सिंह निवासी डेरा अड़हाई मजरा कोटा कंदैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 52 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही आऱक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र स्व0 गोरेलाल निवासी पुरानी बाजार लक्ष्मणपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट तथा 14 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु आपराधित घटनाओं को अंजान देने वाले अभियुक्त 1.सौरभ त्रिपाठी उर्फ राहुल त्रिपाठी पुत्र विनोदचन्द्र त्रिपाठी निवासी बधिया माई मंदिर दहिलामई मऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ 2.शाहिद पुत्र सकील निवासी कासीराम कालोनी, जीआईसी स्कूल के पास सदर प्रतापगढ़ 3. महताब अहमद पुत्र रहीश अहमद निवासी गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ 4. सोयेब पुत्र जमीर निवासी ताला बाजारा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ 5. कलीमुद्दीन पुत्र हलीम निवाली नयामाल गोदाम पूर्वी सहोदर थाना कोतवाली सदर प्रतापगढ़ 6.धनन्जय सिंह यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी जगतीपुर थाना अन्तु जनपद प्रतापगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्ड-गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. सोनू यादव पुत्र रामप्रसाद निवासी मकरी 2. शिवभवन उर्फ झल्लर पुत्र भोंदू निवासी हर्रा 3. होरीलाल पुत्र रामबहोरी निवासी रइयापुरवा मजरा गढ़ीघाट 4.शैलेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र दिनेश 5.कल्ला यादव पुत्र जगमोहन 6.हरीशचन्द्र पुत्र जगमोहन निवासीगण सड़ का पुरवा मजरा चौरा 7. बुद्धविलास पुत्र मोतीलाल साहू निवासी परसौंजा 8. शिवकान्त उर्फ पाण्डा पुत्र राजकरन लोध निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii).प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मोर्य द्वारा अभियुक्त 1. राजेश पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम बरगढ़ मोड़ मजरा कोनिया 2. रामप्रकाश उर्फ मनमाना पुत्र रामपाल निवासी छितैनी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iv). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त 1.रज्जू उर्फ राजी पुत्र रज्जन खान उर्फ राजा भइया निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी 2. विजय सुधाकरदत्त पुत्र मइयादीन निवासी पुरवा तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(v). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र रामकल्याण निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध थाना 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(vi).थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह द्वारा अभियुक्त रोहिणी पुत्र रामलाल निवासी पुराना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(3). आज दिनांक 01.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद चित्रकूट से लगाये गये पुलिस बल की पुलिस लाइन्स स्थितच कान्हा सभागार में ब्रीफिंग की गयी। तृतीय चरण के निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चुनाव डियूटी में लगे अतिरिक्त पुलिस बल को यात्रा तथा मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में हिदायत दी गयी । साथ ही निर्देशित किया गया कि सतर्क एवं संवेदनशील रहकर चुनाव ड्यूटी करें यह एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है । लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अभूतपूर्व योगदान देकर बूथ पर मतदाताओं के साथ विनम्र व्यवहार रखें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान के दौरान कोई अव्यवस्था की जाती है या मतदान को शान्तिपूर्ण वा निष्पक्ष होने से प्रभावित किया जाता है तो किसी भी दशा में उस व्यक्ति/अराजकतत्वों को रोकें तथा तत्काल इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दें । बाद ब्रीफिंग पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट से बसों को हरी झण्डी दिखाकर पुलिस बल को रवाना किया गया ।

इस दौरान चुनाव डियूटी में लगे समस्त पुलिस बल को लंच बॉक्स, रास्ते के लिये नास्ता एवं फर्स्ट-एड किट भी प्रदान की गयी एवं सभी से कहा गया कि कोई बस से रास्ते में नहीं उतरेगा, सभी कर्मचारीगण एक साथ गन्तव्य तक जायेंगे ।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।